बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संचिका सं0–08/अ0प्र0–01–32/2018 25 पटना, दिनांक–21/01/2021

कार्यालय आदेश

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय जॉच समिति की दिनांक–03.03.2020 को आयोजित बैठक में वित्त विभागीय संकल्प सं0–5547 दिनांक–03.07.2019 एवं एतद् विषयक समय–समय पर यथा निर्गत पत्रों/परिपत्रों संकल्पों में संसूचित प्रावधानों/निर्णयों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन कार्यालयों के वैसे कार्यभारित कर्मियों, जो दिनांक–11.12.1990 या उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए एवं बिना नियमित हुए कार्यभारित स्थापना में ही सेवानिवृत/मृत हो चुके है, के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य किये जाने के मामले पर नियमानुसार विचार किया गया।

2. तद्नुसार समिति द्वारा जॉचोपरांत की गयी अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं0–5547 दिनांक–03.07.2019 एवं एतद् विषयक समय–समय पर वित्त विभाग/सरकार द्वारा यथा निर्गत पत्रों/परिपत्रों/संकल्पों में संसूचित प्रावधानों के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन कार्यालयों के निम्नलिखित कार्यभारित स्थापना के मृत/सेवानिवृत हो चुके कर्मियों को प्रावधानानुसार, वांछित अर्हत्ता पुरी करने पर उन्हें मृत्यु/सेवानिवृति की तिथि से नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित/समायोजित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/ पदनाम	जन्म तिथि	कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि	प्रमंडल का नाम	नियुक्ति प्राधिकार	सेवानिवृति /मृत्यु की तिथि	विभागीय जॉच समिति की अनुशंसा।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्व0 राम प्रसाद बहादुर/पथ बेलन खलासी	15.04.1962	18.08.1988	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गया	अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0सं0, कार्य अंचल, गया	30.01.2010	मृत्यु की तिथि दिनांक–30.01.2010 से नियमित सेवा में समायोजन के योग्य।
2	स्व0 पारस नाथ संतपुरी/ रौलर खलासी	16.07.1964	05.08.1983	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेतिया	कार्यपालक अभियंता, ग्रा0अभि0सं0, कार्य प्रमंडल, बेतिया	18.12.2009	मृत्यु की तिथि दिनांक–18.12.2009 से नियमित सेवा में समायोजन के योग्य।
3	श्री शोभ कान्त झा/ चौकीदार	11.10.1944	12.04.1980	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कटिहार	अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0सं0, कार्य अंचल, पुर्णिया	31.10.2002	सेवानिवृति की तिथि दिनांक–31.10.2002 से नियमित सेवा में समायोजन के योग्य।

3. इन वर्णित तीनों कर्मियों को वित्त विभागीय सकल्प सं0–5547 दिनांक–03.07.2019 की कंडिका–05 में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न सुविधायें अनुमान्य होगी:–

(i) इन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवांत लाभ अनुमान्य किया जा सकेगा।

(ii) इन कर्मियों के पेंशन परिगणना हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 के समतुल्य प्रत्येक पॉच वर्ष की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन के तहत पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूतम् पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नही हो तो, उस हद तक न्यूनतम् सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

K Noting

51

(6)

(iii) इन कर्मियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के लिए अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(iv) कार्यभारित स्थापना में सेवाकाल के दौरान मृत कार्यभारित कर्मी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा।

(v) इन सेवानिवृत/मृत कार्यभारित कर्मियों को ए0सी0पी0 के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना नहीं की जायेगी। परन्तु दिनांक–01.01.2009 एवं दिनांक–17.10.2013 के बीच इस श्रेणी के सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों को एम0ए0सी0पी0 के लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवावधि की गणना की जा सकेगी।

4. सक्षम/नियंत्री प्राधिकार इन कर्मियों को संकल्प सं0–5547 दिनांक–03.07.2019 के अनुसार देय लाभों को अनुमान्य/भुगतान करने के पूर्व वांछित अर्हत्ताओं, सेवापुस्त, आरोप की स्थिति आदि की सम्यक जॉच कर लेंगे एवं जॉचोपरांत वांछित अर्हत्ताओं आदि के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो अनुमान्य किये जानेवाले लाभों आदि को प्रभावित करता हो तो, नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–08/अ0प्र0–01–32/2018 375 पटना, दिनांक– 21/01/2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग(बजट शाखा)/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार/ उपकोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–32/2018 375 पटना, दिनांक– 21/01/2021

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को निदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित कर्मियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–32/2018 375 पटना, दिनांक–21/01/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/अपर सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव के निजी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

K. Noting